महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी
पुरानाजकातघर,विकासविभागइमारत,दूसरीमंजिल,शहीदभगतसिंहमार्ग,मुंबई-४०० ००१
इमेल: mhhindiacademy@gmail.com दुरभाष : ०२२- २२६७ २५३९.

ब) पुस्तक प्रकाशन के लिए अनुदान योजना

योजना का उद्दिष्ट :

हिंदी भाषा में दर्जापूर्ण लेखन को बढ़ावा देना तथा हिंदी साहित्यकारों की कृतियों को प्रकाशित करना और साहित्य सृजनशील पाठकवर्ग तक लेकर जाने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया है।

योजना स्वरुप, पात्रता नियम :

- साहित्यकारोंको अकादमी कार्यालय में पूर्णत: तपशील आवेदनपत्र के साथ साहित्यकृति की २ प्रतियां स्वच्छ हस्तलिखित/टंकणित रुप मे भेजना आवश्यक है ।
- साहित्यकारोंको पुस्तक के प्रकाशन के लिए अनुमानित खर्च का विवरण (Estimate) आवेदनपत्र के साथ जोड़ना आवश्यक है ।
- चुनी हुई हस्तलिखित साहित्यकृति के प्रकाशन की व्यवस्था लेखक को खुद करनी होगी अथवा प्रकाशन संस्थाव्दारा पुस्तक छपवाने की प्रक्रिया करवानी होगी। प्रकाशन की अवधि प्रकाशन संस्थाव्दारा प्रमाणित करके अवेदन पत्र के साथ जोड़ना आवश्यक है।
- पुस्तक प्रकाशन अनुदान प्रदान करने के बाद पुस्तक का प्रकाशन निर्धारित समय में करना आवश्यक है ।
- साहित्यकृति प्रकाशित होने के बाद उसकी २५ प्रतियां विनामूल्य अकादमी को देना आवश्यक है ।
- साहित्यिक कृति का प्रकाशन करते समय पुस्तक के प्रथम पृष्ठपर निम्नलिखित संदेश हिंदी भाषा में प्रकाशित करना अनिवार्य है ।

इस किताब का प्रकाशन महाराष्ट्र राज्यहिंदीसाहित्य अकादमी के "पुस्तक प्रकाशन अनुदान योजना"केतहतप्राप्तअनुदानकेसहयोगसे किया जारहाहै ।

- साहित्यकार / लेखक की साहित्यकृति को एकबार अनुदान प्राप्त होने के उपरांत अगले ५ साल के लिए उसी लेखक को पुस्तक प्रकाशन का अनुदान नहीं दिया जाएगा ।
- महाराष्ट्र राज्य में १५ साल से निवास कर रहे हिंदी साहित्यकार इस योजना तहत पात्र होंगे। (१५ साल का अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक है ।) और उनकी १ पुस्तक को अनुदान प्रदान किया जाएगा ।

- शासन की इस योजनांतर्गत एक बार लाभ मिलने पर साहित्यकार को अगले ५ साल तक इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा ।
- इस योजनांतर्गत प्रकाशित होनेवाली किताब को किसी भी निजी संस्था, राज्यशासन और केंद्र सरकार का कोई भी अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा ।
- यह अनुदान केवल मूल(Original) साहित्यकृति को ही मिलेगा । पुर्नःमुद्रण अथवा बाद में प्रकाशित कृति को अनुदान नहीं मिलेगा ।
- आवेदन पत्र में गलत जानकारी दी गई तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी साहित्यकार की होगी और ऐसे साहित्यकार को दिया गया अनुदान अकादमी द्वारा वापस लिया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- इस योजना के तहत अनुदान मंजूरी के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का निर्णय अंतिम होगा। अनुदान मंजूरी न मिलने पर कोई पत्रव्यवहार नहीं किया जाएगा और प्राप्त पांडुलिपि वापस नहीं की जाएगी।
- साहित्य क्षेत्र में निम्नलिखित वाङ्मय प्रकार इस योजना के लिए पात्र होंगे ।
  - काव्य,नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, जीवनी-परक साहित्य, लोकसाहित्य, बालसाहित्य, समीक्षा, पत्रकारिता-कला, अनुवाद, हिंदी में वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य, हिंदी भाषा, भाषा शास्त्र तथा व्याकरण सम्बन्धी लेखन आदि।

अनुदान का स्वरुप :

- अकादमी की समितिद्वारा जिस साहित्यकृति को अनुदान मंजूर हुआ हो, उस साहित्यकृति के प्रकाशन के लिए साहित्यकारद्वारा जोडे हुए अनुमानित खर्च में उल्लेखित ५०% राशि अथवा रु. २०,०००/- इसमें जो राशि कम रहेगी वह राशि अनुदान के स्वरुप में प्रदान की जाएगी ।